

सेवा में,

उप-मंडल शिक्षा अधिकारी,  
फरीदाबाद।

माही क्रमांक: जी-२/१० १५६५७ दिनांक २१/१०/९०  
विषय: नालन्दा माध्यमिक पाठशाला, रपालपुर को  
स्वास्थ्य मायता प्रदान करने हेतु।

आपके कार्यालय के माही क्रमांक जी-२/१०  
१०५१ दिनांक २६-१०-९० के संदर्भ में उक्त विद्यालय  
को निम्न दो शर्तों के आधार पर १.५.९० से  
स्वास्थ्य मायता प्रदान की जाती है।

1. आपके विद्यालय में सुरक्षित छाँकोदार/चपडाली  
की सुरक्षा निपटारी की जाए।
2. लैब का रखरखाव कार्य द्वारा जितनी राशि लागू  
है उसे आंका जायेगी, वह शेष राशि ३१-३-९१ से  
पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद के नाम  
जमा करानी होगी।

हस्ता  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
फरीदाबाद।

प्रत्येक सं-

इसका एक प्रति कु अद्यात्मक नालन्दा माध्यमिक विद्यालय  
रपालपुर को स्वयंसेवा के तहत है।

*Sch*  
Principal

Nalanda Bal Sr. Sec. School

*Sch*  
Principal

कार्यालय निदेशक तैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

आदेश क्रमांक: 23/101-95-वि0-1 §2§ दिनांक, चण्डीगढ़: 19.2.97

नालन्दा बाल विद्यालय, दयालपुर, फरीदाबाद को मैट्रिक स्तर की स्थाई मान्यता दिनांक 19.2.97 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-


1. विद्यालय के प्रबन्ध स्कूल को अपने ही साधनों से क्लासों तथा ग्रान्ट की मांग नहीं करेगा ।
2. विद्यालय निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली हिदायतों की पालना करेगा ।
3. विद्यालय हरियाणा शिक्षा कोड की धारा 214 से 239 तक की शर्तों की पूर्ण रूप से पालना करेगा ।

एन०सी० वधवा  
निदेशक तैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

पु० क्रमांक: सम दिनांक: चण्डीगढ़, 19.2.97

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद ।
2. चैयरमैन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।
3. अधीक्षक एन०एफ०सी० शाखा ।
4. अधीक्षक तैकण्डरी शिक्षा शाखा ।
5. ✓ प्रबन्धक, नालन्दा बाल विद्यालय दयालपुर, फरीदाबाद ।
6. मुख्य लेखा अधिकारी §वि०§
7. अधीक्षक आर्कडा शाखा ।

  
उप निदेशक विद्यालय-1 19/2/97  
कृते: निदेशक तैकण्डरी शिक्षा हरियाणा

  
Principal

कार्यालय निदेशक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ ।  
आदेश क्रमांक 4/31-2000 (कै. शिक्षा) दिनांक चण्डीगढ़ 15-11-2000

नियमानुसार जॉय उपरान्त ~~नालन्दा बैल सी. से. स्कूल~~

~~विद्यालय~~ ~~चण्डीगढ़~~ (कै. शिक्षा) को केवल शैक्षिक सत्र 2001-2002 से 10 जमा दो शिक्षा प्रणाली में जमा एक तथा जमा दो कक्षाओं में आर्ट्स, कांसि ~~व्यव~~ विज्ञान सर्काय प्रारम्भ करने की स्वीकृति अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. सम्बन्धित विद्यालय के प्रवन्धक दस जमा दो शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार/विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद इत्यादि की मांग नहीं करेंगे और छात्र धारे नाम अनुसार छात्र/छात्राओं की वाञ्छित सभी आवश्यक साधन/सुविधाएँ अपने खर्च पर ही उपलब्ध करायेगे ।
2. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली की सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात् केवल उन्हीं को प्राध्यापक पद पर लगाया जाये जिन्होंने एम. ए./एम. एड. सी/एम. काय के सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हों तथा सह शिक्षा के लिए विभागीय शर्तों की भी पालना की जायेगी । इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तियाँ भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/शर्तों के अन्तर्गत की जायेगी ।
3. सभी छात्र/छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए ।
4. जमा एक तथा दो कक्षाओं के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी तथा प्रवन्धक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगे इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी ।
5. विद्यालय की हरियाणा एजुकेशन कोड की सभी शर्तों का पालना करना होगा होगा ।
6. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली में केवल वहीं विषय तथा सर्काय शुरू किए जाएंगे जिनकी टीचिंग/लर्निंग के लिए आवश्यक साधन/सुविधाएँ विद्यालय में उपलब्ध हों तथा जिनको अनुमति विभाग द्वारा दी गई हो ।
7. सरकार/विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी हिदायतों/निदेशों का पालन किया जाएगा ।
8. सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा ।
9. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा ।

*Ashu*  
Principal  
Nalanda Bal Sr. Sec. School  
Nawalpur, Distt. - Faridkot

10. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विधालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र 6 के हिसाब से पुस्तके उपलब्ध ही ।
11. स्टाफ का वेतन बैंक बैंक द्वारा ही दिया जाएगा ।
12. हरियाणा शिक्षा विभाग/ हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तके ही विधालय में पढाई जाए ।
13. ~~उस्था~~ में कायरत का छः मास के वेतन के बराबर बकाया राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम बैंक में फ्लैज करवाई जाएगी ।
14. विभाग द्वारा अनुमति किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जा सकती है ।
15. भविष्य में छात्रछात्राओ का प्रवेश विधालय की क्षमता/नार्स अनुसार ही किया जाएगा ।

अररोजी०नागपाल  
सयुक्त निदेशक विधालय  
कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा

पू०क्र० सम दिनांक 16-11-2000

इतकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. प्रबन्धक नालन्दा वीरसिंह माध्यमिक विधालय  
दयालपुर (फरीदाबाद)
2. सचिव हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उनके यादी क्रमांक                       
दिनांक                      के सन्दर्भ में ।

*(Signature)*  
15/11/20  
अधीक्षक सैकेण्डरी शिक्षा  
कृते निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा

*(Signature)*  
Principal  
Nalanda Bal Sr. Sec. School  
Dayalpur, Distt. - Faridabad

SCHOOL CODE NO. 2048/FBD/12TH/BOSE/2011

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

ORDER NO. 4/78-95 PS(1)

DATED, PANCHKULA, 26.05.2011  
ORDER

In exercise of the powers conferred upon me under rule 34 (1) of Haryana School Education, Rules, 2003 sanction is hereby accorded to grant permission for starting science stream to Nalanda Bal Sr. Sec. School, Dayalpur, Faridabad for Senior Secondary classes under BOSE, Haryana pattern with effect from 1.4.2011 run by managing committee Sarvodaya Shiksha Samiti, Vill. & P.O. Dayalpur Distt. Faridabad subject to the condition that the documents/information furnished by the school authorities are factual and not devoid of truth in any way and also subject to the terms and conditions issued vide letter of recognition No. 4/31-2000 SE(1) Dated 15-11-2000.

Vijayendra Kumar  
Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula.

Endst. No. even

Dated, Panchkula the 30/5/2011

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

- ✓ 1. Manager, Sarvodaya Shiksha Samiti, Vill. & P.O. Dayalpur Distt. Faridabad.
2. District Education Officer, Faridabad.
3. Secretary Board Of School Education Haryana, Bhiwani.
4. Principal, Nalanda Bal Sr. Sec. School, Dayalpur, Faridabad
5. Additional Deputy Commissioner, Faridabad.
6. Technology Officer

*Pls*  
30/5/11  
Superintendent PS  
for Director Secondary Education  
Haryana/Panchkula

*Principal*  
Principal  
Nalanda Bal Sr. Sec. School  
Dayalpur, Distt. Faridabad